न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :–चेतन चौहान, आर.ए.एस. कार्यवाहक जिला कलक्टर

मुकदमा नम्बर :– 02/2023 (जी.सी.एम.एस.नम्बर 2023/7)

उनवान प्रकरणः–

राजस्थान सरकार जरिये समीक्षा दिनकर, प्रवर्तन निरीक्षक धौलपुर ———— प्रार्थी।

बनाम

श्री वैभव अग्रवाल पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल जाति वैश्य निवासी भावा साहब का बाडा कचहरी रोड धौलपुर ————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1 – प्रार्थी की ओर से :– श्री गजेन्द्र सिंह जिला रसद अधिकारी धौलपुर
2 – अप्रार्थी की ओर से :– स्वंय श्री वैभव अग्रवाल

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

निर्णय *दिनांक* 23.01..2023

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 11.01.2023 को जिला रसद अधिकारी व प्रार्थी द्वारा बाडी रोड कलैक्ट्रेट के सामने स्थित जय माता दी मिष्ठान भण्डार पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक कार्यो में उपयोग होने पर जांच की गई। मौके पर जय माता दी मिष्ठान भण्डार के परिषर कुल 07 घरेलू गैस सिलेण्डरों पर खाद्य सामग्री बनना पाया गया। मौके पर दुकान में श्री वैभव अग्रवाल पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल उम्र करीव 21 वर्ष जाति वैश्य निवासी भावा साहब का बाडा कचहरी रोड धौलपुर उपस्थित मिले जिन्होने स्वंय को दुकान का मालिक होना बताया। श्री वैभव अग्रवाल से उक्त 07 घरेलू गैस सिलेण्डरों के इस्तेमाल बावत तथा उनके दस्तावेजों संबधी पूछताछ की गई जिस बावत उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया गया और पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी इस बावत कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। मौके पर वैभव अग्रवाल द्वारा उक्त में से 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (आई.ओ.सी.एल. कम्पनी) व 01 घरेलू गैस सिलेण्डर (एच.पी.सी.एल. कम्पनी) के बावत दस्तावेज मांगे जाने पर उनके द्वारा मौके पर कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग करने पर एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर 2000 के उपबंधों का उल्लघंन पाये जाने पर जब्त ए सरकार किया जाकर धौलपुर शहर स्थित मैसर्स शिवेन

गैस ऐजेन्सी धौलपुर के प्रतिनिधि श्री साजिद खांन पुत्र श्री नैशाद खांन जाति मुसलमान निवासी बडा पीर पुराना शहर धौलपुर की सुपुर्दगी में दिया गया। अतः निवेदन है कि 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 46 किलोग्राम तथा एक भटटी(चूल्हा) मय पाईप को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि एल.पी.जी. ज्वलनशील,विस्फोटक व जनहित की वस्तु है। अतः धारा 6ए(2)आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अंतरिम निस्तारण के आदेश भी प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ फर्द अभिग्रहण दिनांक 11.01.23, फर्द सुपुर्दगीनामा दिनांक 11.01.23 एवं नजरी नक्शा की प्रति पेश की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस नोटिस के समबन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी वैभव अग्रवाल स्वंय उपस्थित हुआ तथा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उसने कथन किया कि प्रार्थी के प्रतिष्ठान पर व्यावसायिक कार्य में केवल एन.डी.गैस सिलेण्डरों का ही उपयोग किया जाता है। जिला रसद कार्यालय की जांच टीम द्वारा दिनांक 11.01.2023 को की गई जांच में मेरी दुकान पर पाये एल.पी.जी. गैर सिलेण्डर मेरे घरेलू कार्य में उपयोग लिये जाते है और मेरे अन्य परिवारीजनों के घरेलू सिलेण्डर थे जो उस समय दुकान में रखे हुये थे एवं उन पर किसी प्रकार की सामग्री बनाने का कार्य नहीं किया जा रहा था। दुकान पर रखी हुई गैर भटटी(चूल्हा)खराब है जो कबाड में रखी हुई थी। उक्त सभी गैस सिलेण्डरों के दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है। उन्होने अपने जबाव के साथ गैस कनेक्शन पासबुक की फोटोप्रति प्रस्तुत की हैः–

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अप्रार्थी ने अपनी वहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी के प्रतिष्ठान पर व्यवसायिक कार्यो के उपयोग हेतु 19 किलोग्राम गैस का कनेक्शन है और उन्ही पर मिष्ठान भण्डार की खाद्य सामग्री बनायी जा रही थीं। घरेलू गैस सिलेण्डरों पर मिष्ठान भण्डार की कोई भी खाध सामग्री नहीं बनायी जा रही थी। अप्रार्थी के कर्मचारी लगभग 15 से 20 लोगों का (स्टाफ) दिन रात परिसर में रहते है। घरेलू गैस कनैक्सनों के सिलेण्डरों पर स्टाफ के लोग अपना खाना बना रहे थे। उनका खाना भी बाहर ही बनता है। उत्तरदाता से व उनके स्टाफ से कोई पूछताछ नहीं की गई न कोई दस्तावेज मांगे गये वरना उत्तरदाता उसी समय वैद्य दस्तावेज दिखला देता। गैस कनेक्शन पास बुक की फोटो प्रति जबाव के साथ पेश की है। अप्रार्थी के कर्मचारी अपना अपना खाना बनाने व पकाने के लिये परेशान है। जब्त शुदा 07 घरेलू उपयोग हेतु सिलेण्डरों को मय गैस तथा एक भटटी(चूल्हा) मय पाईप के अप्रार्थी को लौटाये जावें।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित श्री गजेन्द्र बावू शर्मा, जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने दौराने वहस अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जबाव में अंकित कथनो को स्वीकार करते हुये कथन किया कि जब्त शुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को अप्रार्थी को वापिस किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दिनांक 11.01.2023 को जिला रसद अधिकारी व

प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बाडी रोड कलैक्ट्रेट के सामने स्थित जय माता दी मिष्ठान भण्डार पर घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक कार्यो में उपयोग होने पर जांच करने पहुचें। मौके पर जय माता दी मिष्ठान भण्डार के परिषर कुल 07 घरेलू गैस सिलेण्डरों पर खाध सामग्री बनना पाया गया। अप्रार्थी से उक्त 07 घरेलू गैस सिलेण्डरों के इस्तेमाल बावत तथा उनके दस्तावेजों संबधी पूछताछ की गई जिस बावत उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जबाव नहीं दिया गया और पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी इस बावत कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। यहॉ पर अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के प्रतिष्ठान पर व्यावसायिक कार्य में केवल एन.डी.गैस सिलेण्डरों का ही उपयोग किया जाता है। प्रार्थी के प्रतिष्ठान पर व्यवसायिक कार्यो के उपयोग हेतु 19 किलोग्राम गैस का कनेक्शन है और उन्ही पर मिष्ठान भण्डार की खाद्य सामग्री बनायी जा रही थीं। घरेलू गैस सिलेण्डरों पर मिष्ठान भण्डार की कोई भी खाध सामग्री नहीं बनायी जा रही थी। अप्रार्थी के कर्मचारी लगभग 15 से 20 लोगों का (स्टाफ) दिन रात परिसर में रहते है। घरेलू गैस कनैक्सनों के सिलेण्डरों पर स्टाफ के लोग अपना खाना बना रहे थे। उनका खाना भी बाहर ही बनता है। उत्तरदाता से व उनके स्टाफ से कोई पूछताछ नहीं की गई न कोई दस्तावेज मांगे गये वरना उत्तरदाता उसी समय वैद्य दस्तावेज दिखला देता। गैस कनेक्शन पास बुक की फोटो प्रति जबाव के साथ पेश की है।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित श्री गजेन्द्र बावू शर्मा, जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने दौराने वहस अप्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जबाव में अंकित कथनो एवं प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार करते हुये अप्रार्थी से जब्त शुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को अप्रार्थी को वापिस किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर प्रकरण में जप्त शुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 46 किलोग्राम तथा एक भटटी(चूल्हा) मय पाईप को अप्रार्थी को वापिस किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को आदेश दिये जाते है कि वह प्रकरण में जब्त शुदा 07 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 46 किलोग्राम तथा एक भटटी(चूल्हा) मय पाईप को अप्रार्थी वैभव अग्रवाल पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल जाति वैश्य निवासी भावा साहब का बाडा कचहरी रोड धौलपुर को वापिस किया जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रतिलिपि वास्ते पालना जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भेजी जावे। पालना रिपोर्ट 15 दिवस में न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चेतन चौहान)
कार्य वाहक जिला कलक्टर,
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)